

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-330) अलेसे- I/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्री रतन लाल खटीक (लिंग नं० 1875), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय उपकोषाधिकारी, मालपुरा, टोंक को राशि 2000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए दिनांक 12.10.2018 को रंगे हाथो गिरफ्तार किये जाने पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक में एफ.आई.आर. संख्या 289/18 दिनांक 23.10.2018 दर्ज होने के परिणामस्वरूप श्री रतन लाल खटीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I को राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 12.10.2018 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कोषालय, बून्दी रहेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-330) अलेसे- I/161

दिनांक:- 30-10-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
- 4 जिला कलक्टर, टोंक।
- 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।
- 6 कोषाधिकारी, टोंक/बून्दी।
- 7 श्री रतन लाल खटीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, उपकोषाधिकारी, मालपुरा, टोंक को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि निलम्बन मुख्यालय पर तुरंत उपस्थिति देवे।
- 8 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- 9 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।
- 11 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II।
- 12 गार्ड फाइल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)